

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
ओमप्रकाश बनाम सोहनलाल

किरम मुकदमा

ता.प.

नं० 33 सन् 2018

दिनांक	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इत्त हुकम की तामील मे जारी हुए
3.4.18	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 18.5.18 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
30/5/18	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मांडल मे पेश हुई, वादी उपाखित । वादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शक्तिधर तिवारी निवासी मांडल ने वाद अन्तर्गत धारा 183 RTI पेश कर ईस्तुआ की है। कि ग्राम मांडल मे उसकी स्वादेदारी आराजी नम्बर 7928/1 रकबा 0.1 बिस्वा है जिस पर उतिवादी सोहनलाल पिता गोकल तेली निवासी माण्डल ने अतिक्रमण का अवैध कब्जा कर लिया है जिसकी पुष्टि पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 28.4.17 से होती है। अतः उसकी स्वादेदारी आराजी का कब्जा उसे डिलामे जाने की डिडी जरिये पारित कराई जावे । प्रकरण दर्ज किया जाकर उतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । उतिवादीगण के अनुपाखित रहने पर उनके विक्रम एक तरफा कार्रवाई छिड़े जाने के आदेश दिये जाते है। एच वकील वादी मे बतस करनी नाही । बतस छुनी गई ।</p> <p>मेरे द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व अभिलेख एच पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 28.4.17 का अवलोकन किया गया । प्रश्नगत आराजी नम्बर 7928/1 रकबा</p>	<p>पं. ओमप्रकाश तिवारी</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>

०.५ बिस्वा वारी की खातेदारी लेनी की प्रुष्टि होती है। एवं प्रतिवारी सं. ०५ की आरजी ७९२८ की सरमा इस्तिन की ओर है। इस ०.५ बिस्वा भूमि का कब्जा प्रतिवारी सं. ०५ का है। उक्त आरजी पर सत्परगदी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवारी सं. ०५ का अतिभूषण होना भी सिद्ध है। प्रतिवारी लंसा कोई एतिरोध प्रस्तुत नहीं हुआ।

अतः वाद वारी स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल, सदवार टंका माण्डल तहसील भाण्डल में स्थित आरजी सं. ७९२८/५ रकबा ०.५ बिस्वा जो प्रतिवारी सं. ०५ की आरजी सं. ७९२८ की सरमा दक्षिण की ओर है। इस ०.५ बिस्वा भूमि का कब्जा वारी को प्रतिवारी सरवा ०.५ से दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भांडल की पालबार्ध डिफ्री जारी है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी
माण्डल मिला भीलवाड़ा